# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई, सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail: eepmgsypurola@rediffmail.com

Tel.No.: 01373-223730

ole

पत्रांक- 292 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख०

दिनांक 08/04/2024

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स वन प्रभाग पुरोला (उत्तरकाशी)

- विषयः- जनपद उत्तरकाषी के विकास खण्ड़ नौगांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन के सम्बन्ध में।
- सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक संख्या 8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 187 / 2019 / एफ0सी0 / 719, दिनांक 24 / 07 / 2020 |

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक सं० 347/पी०एम०जी०एस०वाई०/सिंठख० दिनांक 08.06.2016 द्वारा 04 प्रतियों में मूल प्रति सहित प्रेषित कर दी गई थी, पुनः दो प्रतियां अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून एवं एक प्रति वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निम्नानुसार प्रेषित है–

क0 सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या1की छायाप्रति
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	संलग्न है। अभिलेख सलंग्न है, सचिव उत्तराखण्ड शासन वन के पत्रांक संख्या—1528 / X-3- 23/I(130)/2019 द्वारा संरक्षित वन घोषित एवं वन विभाग का हस्तान्तरित है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण	
4	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.072 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम छमरोटा सिविल खसरा नं0 2368 के प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो , स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline Para 2.4(I) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	अभिलेख सलंग्न है, सचिव उत्तराखण्ड शासन वन के पत्रांक संख्या—1528 / X-3- 23/I(130)/2019 द्वारा संरक्षित वन घोषित एवं वन विभाग का हस्तान्तरित है।

1		
1	(ग) वन मडल अधिकार द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किय जायेगा की उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना व तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	॥ डी०एफ०ओ० पुरोला से सम्बन्धित है। हे
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांव 5–1/1998–एफ0सी0(Pt,2) दिनांक 18.09.203 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एव 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.536 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शब्द वर्तमान मल्य वसल करेगी।	
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	है
6	प्रयोगक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1242 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के के संख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	6
7	State Govt will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement or work before StampII approval as per guidelines para 11.2 The State Govt. will strictly montor and ensure that no furher activite carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई—पोर्टल ( https://parivesh-nic-in ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएगे।	प्रमाण पत्र संख्या <b>11</b> सलंग्न
9	एफ0आर0ए0 2005 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
10	विनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या वर्तपाय !	है प्रमाण पत्र संख्या
11	सराक्षत क्षत्रा/वन क्षत्रा में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ के गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगे।	ह प्रमाण पत्र संख्या
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति करेगा।	प्रमाण पत्र संख्या <b>२९</b> सलंग्न
13	केन्द्र सरकार की पूर्णनुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	ू प्रमाण पत्र संख्या– <b>उ०</b> सन्तर
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या
15	कानूना स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या
16	संबंधि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या <b>उ.उ</b> सलंग्न

17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	đ
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या <b>35</b> सलंग्न है
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्देष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	8
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति का हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017– FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	
23	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेका जाएगा।	
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्धेद/ नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। वो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगीं।	प्रमाण पत्र संख्यासलंग्न है
25	अनुपालन रिपोर्ट ई—पोर्टल ( httpst//parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रमाण पत्र संख्या <u>42</u> सलंग्न है

संलग्नक- उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख० पुरोला उत्तरकाशी

पत्रांक /पी०एम०जी०एस०वाई०/सिं०ख०/पुरोला /तदिनांक प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित-

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख० पुरोला उत्तरकाशी

कार्य का नाम:— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में अध्याप्त की गई भूमि की विधिक परिस्थिति किसी भी दशा में बदली नहीं जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

#### उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या- 1528/X-3-23/1(130)/2019 देहरादूनः दिनांकः 18 दिसम्बर, 2023

#### अधिस्चना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उक्धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शयित्तयों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजार्थ जिला उत्तरकाशी में रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्थालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.536 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी. उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड0 (अन्य कृषि योग्य बंजर) भूमि के 9.072 है0 क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साध-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं :-

तालिका

ক্রতংশঁত	জিলা	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	चयनित क्षेत्रफल (है0)	भूमि की किरम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ভল্মেকাशী	पुरोला	छमरोटा	2368 편0	9.072	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड़
				योग-	9.072	

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं रतम्भ निर्माण किया जारोगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

#### भाग-- 2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी०पी०एस० लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

		Co-ordin	ates of 1	Plantation Site						
PAR	Village-Banasari									
ID Longitude Latitude ID Longitude Lat										
1	78:517571E	30°45' 12.965" N	11	78°4` 57.730" E	30°45` 18.048" N					
21	78°5" 15.695" E	30°45' 22.726" N	12	78°5' 0.465" E	30°45' 15.156" N					
3	78°5° 10.571" IE	30°45' 24.430" N	13	78°5' 2.265'' E	30°45' 14.742" N					
41	78°5* 8,597" E	30°45° 24,630° N	14	78°5° 4,046" E	30°45' 16.037" N					
5	78*5* 5.432" E	30°45' 23,680" N	15	78°5° 3,042" E	30°45" 18.638" N					
6	78°5°1.736° F	30°45° 21.510" N	16	78"5" 4.266" E	30º45' 21,033" N					
21	78°4154,074" II	30°45° 20.597° N	17	78°5' 5.917" E	30°45' 21,512" N					
8	78°4°50,975" E	30°45' 16.193" N	18	78°5° 9,436" E	30°45' 19,775" N					
91	78°4'47,895" E	30°45` 16,715" N	19	78°5°11,217"15	30°45" 19.691" N					
10	78°4'53.977" E	30°45' 18.546" N	20	78°5' 13.068" E	30°45' 20 521" N					

Signed by Kahkashan Naseem (कहकशा नसीम) Date: 18-12-202अप्रअविध्व:04

<u>528 X-3-23.1(130)/2019,तददिनांकित।</u>
निग्नसिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
उन भहानिरेक्षिक, उन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड़, नई
1 (1775)
<ol> <li>टमुख वन संख्यक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।</li> </ol>
. प्रमुख यन अंत्शक वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4, अपर पमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
<ol> <li>मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड, कैम्पा।</li> </ol>
इ. आधुक्त गढवाल मण्डल. उत्तराखण्ड।
७. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
८. यन संख्यक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड।
9. प्रभागीय बनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड(ब).
भाग-4 में प्रकाशनार्थ। 11. एन०आई०सो०, सचिवालय परिसर।
12. गाउँ फाईल।
आज्ञा से.

उप सचिव।

Signed by Satya Prakash (सत्यप्रकाश सिंह) Singh Date: 18-12-2023 17:42:18


गर्य का नाम :— <u>गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के</u> नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को <u>प्रत्यावर्तन।</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गुन्दियाटगांव [मा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान विशेषज्ञ समिति से ?पोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की मतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता मभिकरण से वसूला जाएगा।

पी०एम०जी०एस०वाई, सिं०ख० पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सिं०ख० पुरोला (उत्तरकाशी)

W " TOTHE ISBES 21129. 20299625 तहहील-पुरोला जिला-उतरकार्या CPP 40 जारु रवातेदा Agazor Radell रक्वाटि 68 11.133 9.072 उतराखण्ड सरकार-र्वसरा संख्य 9.072 EV मद्रमार्जन 11.133 9.072 3 with Burn 10 Jeon



। कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रमाग, पुराला (उत्तरकारागा) E-mail-dfo tons@yahoo.co.in.phone/fax-01373-223328 पुरोला, 30/07/ 222/12-1

दिनांक.

पत्राक सेवा में.

> अधिशासी अभियन्ता यी०एम०जी०एस०वाई. सिंचाई खण्ड, पुरोला, उत्तरकाशी।

विषय-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर गार्य के निर्माण हेतु 4.538 है0 वन मूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विमाग को प्रत्यार्वतन।

सन्दर्श-

भारत सरकार की वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरमध्य क्षेत्र) के पत्रांक सं0-8ही/यू0सी0पी0/08/187/2019/एफ0सी0/719 दिनांक 24-07-20201

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विषयांकित वन मूमि हस्तान्तरण प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु संलग्न डिमान्ड नोट (मांग पत्र) प्रेषित किया जा रहा है। मांग पत्र के अनुसार एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर जमा चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शतों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में यथाशीघ विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

संलग्न-यथोपरि।

भवद्वीय, 183 (सुबोध कुमार काला) प्रभागीय वनाधिकारी, द्वीन्स वन प्रभाग पुरोला।

2020

प्रतिलिपि-अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय.

(सर्वोध कुमार काला) प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग पुरोला। जनपद उतारकाशी में प्रधानमंत्री माम सड़क योजना के अन्तार्गत गुन्दियाटगंव रामा मेटर माने के किसीठ 140 के क्यानुका भोटर माने के निर्माण हेतु 4.630 है0 वन मुनि का गैर बानिकी कार्यों हेतु प्राय्य विकास विमाग को प्रत्यार्थान किए जाने के सम्बन्ध में कैदानिक, स्वीकृति में उत्तितखित शर्तों के अन्तर्भत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।

मन्द रां0		हस्तान्तरित वरी जाने वाली वन मूमि का होत्रफल (हे0मे)	ईको क्लास Àणी	हरियाली का चनत्व	भद का विवरण	बीजाफाल (हें0 में)	दर प्रति हैंठ प्रमुख बन संरक्षक, जलराखण्ड, देहरादून का पत्रकि संठ-972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 की अनुसार यसूनी यर्ष 2019-20 हेंदु निर्धारित	जमा की जाने नाली बाकसित दनराशि
1	2	2	4				यर के अनुसार	
1		3	-4	5	6	7	8	9
2	FP/UK/ROAD/41387/2019			16.10.1	1. NPV	4.536	8,45,000/-	38,32,920.00
_		4.536	5	0.5	2. क्षतिपूरक दूलारोपण एव 10 वर्षीय रख-रखाव हेतु	9.072	3,37,184/	30,58,934.00
						ALL BAR	Total:-	68,91,854.00
		Or	Say:-	Sh	kty eight lacs ninty one	thousand	eight hundred fifty fo	uronly

दौन्स यन प्रमाग, पुरोला।

<u>नोट</u> वतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि यदि बित्तीय वर्ष 2020-21 में जमा नहीं की जाती है सी विलीय दर्ष 2021-22 के नियारित दर के अनुसार धनराशि जमा करनी होगी।

10

(सुबोध कुमार काला) प्रगागीय वनाधिकारी, टीन्स वन प्रभाग, पुरोला।

10111112272019505

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

BANK COPY	यूनियन बँक N Union Bank	NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds Date : 12-08-2020	Agency Name. PMGSYID PUROLA	ġ	Location. UTTARANCHAL	Address: Executive Engineer P.M.G.S.Y.LD. Purdia (Uttarkashi) Uttarkashi	Amount(in Rs) 63918541-	Amount in Words -Sucy-Eigh Lakh Ninety-One Thousand Eigh Hundred and Fility-Four Rupees Only	NEFT/RTGS to be made as per following details;	Beneficiary Name: UTTARANCHAL CAMPA	IFSC Code: N/A	Pay to Account No. Valid only for this challan amount.	Bank Name & NIA Address:	<ul> <li>This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only</li> </ul>
AGENCY COPY	यूनियन बैठ S Union Bank	NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds Date : 12-08-2020	Agency Name. PMGSYID PUROLA Application No. 6141387505	MoEFISG File No. 88/UCP/06/187/2019/FC	Location. UTTARANCHAL	Address. Evecutive Engineer P.M.G.S.Y.I.D. Purola (Uttarkashi)Uttarkashi	Amount(in Rs) 6891854/-	Amount in Words Skriy-Eght Lakh Ninely-One Thouseod Eight Hundred and Filly-Four Rupees Only	NEFT/RTGS to be made as per following details;	Beneficiary Name: UTTARANCHAL CAMPA	IFSC Code: N/A	Pay to Account No. Valid only for this challan amount.	Bank Name & N/A Address:	<ul> <li>This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only</li> </ul>

15	1 *	10	3	81	=	10		a																
FP/UK/ROAD/23116/2016	2043	1	and and a second		-						0		art	17	T	*		2						
VIRON	PH/UK/KOAD/11303/2015	77) UN RUADI 23290/2016	and		C 10C/SPPEC/GPON/NI/44	FP/UK/ROAD/33852/2018		***/UK/ROAD/34189/2018		FP/UK/ROAD/41387/2019	HP/UK/ROMD/43650/2019	1.5	FRAN	Hello	-	Nel I	1	T	3					
10/23	NON1	Hoter		UTC	OAD	ROAD		ROAD		ROA	URON		CRO	NRO		N NO		CX X	CN N		N.		200	
/9116	1303	1323	Corc	2120	PEC.	SEEM		0/341		0/41	D/43	1	South	NOVI		NO1		262	CHO		040		cossi No	No. No.
2016	/2015	102/0	01200		UCISE	NUCS		2/681		387/2	650/7	- Marine	San	11862		2382		12352	1238		11149		9	1
								018		100	_	1100	FMUKIROAD/DOGLAN/2017	FF/UW/R04D/123812/2021/R04D1238122021061/61123812061		FP/UK/ROAD/123820/2021/ROAD1238202021111661122	-	SOL	02/20	12	2/04/9040/11498/2015 R040114962015030			
ROAD231162016176	RCAD113032015835	R0AD232902016518	202810205015016201		CURL SUCCESSION OF CONTRACTOR	204032222200100000		ROAD		ROAL	ROA	NOA	3	ROS		창		non la	ZERO	-	5 RO		2	
1620	3032	3290	DC01		1000	2225		3418	110	2112	D436	0290		DIZ		612	June -	2	ADIZ		NDI		polic	
1617	0158	20165	STOZ	three	1022	TUCC		1026	04.50	1000	5020	4020		38122		38202	2523		3853		14962	- Contract	Application No.	
			1	1		2770		ROAD341892018621	CUCE	204D413277040505	ROAD436502019664	x040296402017572		0210		CICC	20210		20216	1	0150	0WO	5	
6123116176	6111303835	6123290518	0131650207	CRECHERTO	6/07035510		3	613						6161	1001		1905		1362	- 0			2	
6176	33835	1506	5020	ACH	0700			6134189621	0141387505		6143650664	6129640572		12381	1238		1235		1238	0259641770		(New)		
0			17	2	13			\$21	505		664	572		2061	51202		CS0E35E21190501202E7657100000000000000000000000000000000000	1	FP/VVV ACAD/123853/2021/ROAD123853202165361122853641	0220		A DAM	Application	
Construction of Arakot Bhutanu motor	semalsari to gair	NH 94 KHARADI NAGADGAON KH 9.00 TORoad BACHAN GAON UNDER PMGSY	Construction of Ranachatti to Nisni Motor Road	To That Gaon	Mon	Unde	Road	Cons	Regel	1	Road.	8	bed	2	Con	broad	8	na con	2	Na				
Action	and to	N GA	ructio	all Ga	to Sal	Under PMGSY	In Bi	truct	RAMA TO SYALUKA	SUNCE	1 a	struct	Samo		sbuch	-	struct	d sting		pan G		Proposal Name		
of A	gair	ON U	nors	on of	ra No	SSY.	ock N	on of	SYAL	ou or		ion of	on or		Son o		Son o	con o		aon t		N Nat		
akot		NAGA	lanad	Valuga	tor Ro		ort, D	Odata	UKA	Sout		Bana	NOICH		Pana		Hant	C NO C		Kurs	1	1		
Bhuta	18.7	PMG	t itter	on Pu	u bec		strict	to S		SO OS		s to D	er to		1 to S	1 1 1 1 1	the second second	of rev		Mot				
NU UN		SY KH	o Nisr	A eto.	Nder P		Road in Block Mort, District Uttarkashi,	Construction of Odata to Sanas Motor		our ere	1	Construction of Bainas to Durbil Motor	Nuran		nga Ma	NUNS I		Halw		Nagan Gaon to Kursi Notor Road				
otor		9.00	N Mot	Construction of Naugaon Purola MR Km 2 To Thali Gaon	Mori to Salra Motor Road Under PMCSY	18	ashi,	otor		construction of sour to Usala metor road		lotor	road		Construction of Pawn to Singa Motor Road	1 III CHO	Construction of Harmond to prove and	construction of Nathwar to Halwari motor road	1	a.				
Road	Road	TORO	Road	1 10	Road		-	22	2			2			N DR						0			
ä	a	B	8	đ	a			Road	Road	Noad		Road	Road		Road	Decov		Road	2000		atego		Challan god	
83	4,165	1.346	1.935	11.6735	10.787			28585	4.536	22.2165		216	3.062		2 485	5.037	1	3,0968	2112		Category (ha.)	Arti	puð un	
2 22	2 P			And and a state of the								22		1				-						
PINGSYID	UROLA	PUROLA	PUROLA	PINGSYID	PUROLA		PUROLA	PUROLA	PMGSYID	PUROLA	PUROLA	PUROLA	DIASNIA	PUROLA	PUROLA	PMGSYID	ROLA	PINGSYIN	PURON A	Name	Asency	User		
22	27	12	5	13	8		te	-						5	-	R	-54	1	7	PR	8			
9-6-2018	5-9-2018	S-6-2019	13-6-2019	29-4-2019	6102-11-10		51-1-2020		24-7-2020	30-9-2020	41-10-2020	1	21-12-2011	17-3-2022		15-5-200	1-7-2022		D4-3-2316	PRUNCTPLE	Date of IN-			_
18	00	6	0	9	19		0		0	0	20	1.	1			1				5	¥.			
27	31-	20 Z	- NO	02-0	Ę		18-2	2	10-8	28-1	20-1		08-2-	124		19-5-	Thornes		10-2-2023	Verifi	Demand			81
22-7-2018	31-1-2019	20-8-2019	6102-8-02	6102-6-20	13-11-2019		18-2-2020	1111	10-8-2020	28-10-2020	20-11-2020	1040	08-2-2022	12-4-2022		19-5-2022	2000	CCD	2023	Verified Date	brid			
		2.4	24		2									0		0	e	5	0					
0	0~	0~	07-	Ores	011		Co mu	1	0~~	014	Cra		1 Tak	One		Onu	6		Que		Action			
Paid	Paid	bitd	Paid	bild	Paid		Pald	-	Paid	pled	Paid		Pald	Paid		Paid	r ord	2	Paid	Details	FILP			
bi	P	d	4	4	0		-													ils	Fill Payment			
0	0	0	0	0	0		0	1	3	O Trace	01	6	3	01	(	0	CI	1	O m	- Marten	t Status		~	
On	01	0 ~	01	071	074		On		3 ~~~	No.	i	501	1	1		10	1		2	20	1	1 (	2)	

कार्य का नामः— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किल्मील 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 हैं० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में कम से कम वृक्षों का कटान एवं पालन किया जायेगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1242 से अधिक नहीं होगी।

0

अधिशासी अभियन्ता पी०एग०जी०एस०वाई०,सिंठख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता पीठएमठजीठएसठवाई०,सिंठख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https:/parivesh. nic/in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगा।

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी) प्रपत्र-23.2

परियोजना का नामः—<u>जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव</u> रामा मोटर मार्ग किमीo 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-7.500 कि0मी0)

#### कार्यालय उप जिलाधिकारी, –पुरोला

# अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण पत्र। उपखण्ड स्तरीय समिति, पुरोला

उपखण्ड पुरोला परिक्षेत्र के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग हेतु (आरक्षित वनभूमि 4.0320 है0, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है0, वन पंचायत भूमि शून्य है0 अर्थात कुल 4.5360 है0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–पुरोला) की दिर्माक द्या

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पूर्णा विद्र राजा..., उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1 श्री प्राणा सिंह राणा उपजिलाधिकारी सिंह राणा अध्यक्ष

- 2 श्री आर म दन शीवात्त्वउप प्रभागीय वनाधिकारी के मिला वा ? घराग प्रतेलां सदस्य
- 3 श्री मिलाश राष्ट्रा सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहायक सताजादस्वय्य संविधिकारी
- 4 श्रीमती किन्द्री दी बीठडीठसीठ क्षेत्र किन्द्री देवी पुरोला (उत्तरकाशी)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य परियोजना हेतु 4.5360 है0 वन भूमि (4.0320 है0 आरक्षित वन भूमि एंव 0.5040 है0 सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि से संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी टोंस वन प्रभाग पुरोला द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पुरोला परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमीo 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 4.5360 हैo वन भूमि (4.0320 हैo आरक्षित वन भूमि एंव 0.5040 हैo सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

> उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील– पुरोला, जनपद–उत्तरकाशी

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- पुरोला, जनपद—उत्तरकाशी amo

#### FORM-I Government of Uttarakhand Office of the District Collector

No. 1.79/2010

Dated. 5-11-2018

# TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act,2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that 4.5360 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D Uttarakhand for New Road Construction in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Syaluka village in Purola Tehsils.

It is further certificated that:

- (b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.

M

(Full name and official seal of the District Collector)

#### OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE DISTRICT - (UTTARKASHE

#### Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Uttarkashi District – Uttarkashi constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashish Chaudayi A.S. District Magistrate on Dated 5-11-248t 11 AM at Uttarkashi in which the application claiming rights in Mail area measuring 4.5360 Hect for the Construction of Gundiyad Gaon Rama M/R Km. 1.00 to Syaluka Motor Road under PMGSY of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of Purola were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Uttankarhi Dated: 5-11-2018

M

District Magistrate District level Committee

# कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी जनपद उत्तरकाशी

दिनांकः-

16

पत्रांक:-

# वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतुं गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपजिलाधिकारी- पुरोला की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी

( अगर व्याह मिश्रा) प्रभागीय वनाधिकारी टोंस वन प्रभाग

जिलाधिकारी उत्तरकाशी

पृ०स० / डी०एल०आर०सी० / दिनांक <u>प्रतिलिपिः—</u> 1 अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०, पुरोला वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पुरोला खण्ड के रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.5.360 हे0 वन भूमि हस्तानरण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक .5-11-2018 को जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं सदस्य गण उपस्थित हुए।

1     श्री आशीष चौहान     जिला अधिकारी उत्तारकाशी     जिला अधिकारी उत्तारकाशी       2     श्री उत्तारत्वी - मिश्रा     प्रमाश मिं वन्तादित्व संस्थ वन प्रमाश टील्टा प्रसिद्धक टोल्टा वन प्रमाग     जा वन संस्थक टोल्टा वन प्रमाग       3     श्री टेनलता पाछ?     जिता पंचायत सदस्य टकनौर     जा वन संस्थक टोल्टा वन प्रमाग       4     श्री जितेन्द्र राणा     जिला पंचायत सदस्य टकनौर     जा वन संस्थाक टोल्टा वन प्रमाग       5     श्री अनिता गुंसाई     जिला पंचायत सदस्य कन्सेण     जा वन संस्था क राज्य वन प्रमाग       6     श्री अनिल कुमार     जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव     जावा पंचायत	क० सं०	अधिकारी/सदस्यों का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
2     श्री उतार व्यो व निर्धा     प्रसाग में वनगोदी कार्य       3     श्री हेनलता पाछ्य     जिंदगा र्यम्पा के कट्यांण     जय के प्रमाग.       3     श्री हेनलता पाछ्य     जिंदगा र्यम्पा के कट्यांण     जय के प्रमाग.       4     श्री जितेन्द्र राणा     जिला पंचायत सदस्य टकनौर     जिला पंचायत सदस्य कन्सेण       5     श्री अनिता गुंसाई     जिला पंचायत सदस्य कन्सेण     जात्मा पंछायत-04 कांणी       6     श्री अनिल कुमार     जिला पंचायत सदस्य उख्याटगांव     जाव्म पंछायत-04 कांणी	1	श्री आशीष चौहान	174	
3     श्री     टेगलता     पाछड़     जिता रसमाज करुधाण     जेपराला       4     श्री     जितेन्द्र राणा     जिला पंचायत सदस्य टकनौर     गिर्मा संस्थान कर्मांग       5     श्री     अनिता गुंसाई     जिला पंचायत सदस्य कन्सेण     जेग्गा गिर्मा गांग       6     श्री     अनिल कुमार     जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव     जात्मा पंजायत अवस्था गांग			वन प्रमाम टेक्स मुबल	उप वन सरक्षक
4     श्री जितेन्द्र राणा     जिला पंचायत सदस्य टकनौर     गरम्प       5     श्री अनिता गुंसाई     जिला पंचायत सदस्य कन्सेण     उन्नी दिर्द्धा कर्मा       6     श्री अनिल कुमार     जिला पंचायत सदस्य उख्याटगांव     जतर ताणी	3	औ हेमलता पावडय	0 0	
<ul> <li>अभ जानसा नुसाइ</li> <li>जिला पंचायत सदस्य कन्सण</li> <li>अन्ति पंचायत-०४ तरणी</li> <li>अनिल कुमार</li> <li>जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव</li> <li>आवल कुमार</li> </ul>	4		जिला पंचायत सदस्य टकनौर	सिंह रोणा पदस्य जायन दल्लीर/
6 श्रा आनल कुमार जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव	5	श्री अनिता गुंसाई	जिला पंचायत सदस्य कन्सेण	सदरगा जिला पंतप्रात-०४ लग्णी
	6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव	STIERE PROVI

17

Scanned with AltaScanner

# It is certified that-Minutes of meeting of Construction of Gundiyad Gaon Rama M/R Km. 1.00 to Syaluka Motor Road Km. 7.750 Motor Road regarding FRA is as following

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 4.536 hect. Of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and neeting of the Forest Right Committee (s), sub division Level Committee are enclosed as annexure.	there are no habitants belonging to scheduled tribes and other
(b)	The Diversion of Forest fand for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Preagricultural communities.	

W

(Dr.Ashish Chauhan) District Magistrate-cum-Chairman District Level Commitee Uttarkashi परियोजना का नामः जनपद उत्तरकशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग हेत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र। ग्राम पंचायत का नाम—गुन्दियाट गांव तहसील पुरोला, जिला उत्तरकाशी

उत्तराखण्ड के जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम राउक योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 रो रयालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 4.0320 है0, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है0, वन पंचायत भूमि शून्य है0) अर्थात कुल 4.5360 है0, वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम्य पचायत गुन्दियाट गाव द्वारा दिनाक 13-03 – 19 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गरी। यह कि वन अधिकार अधिनियम. 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी मेर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परग्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्ररताव पारित किया गया कि ग्राम गुन्दियाट गांव के ग्रामवासियों को उवत्त तन भूमि सिंचाई खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई०सिं०ख० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

ग्राम सचिव

CamScanner

प्रपत्र-23.1

दिनांक <u>13-01-15</u> को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठ्क की उपस्थिति ग्राम पंचायत का नाम <u>रू नियमार का न</u>

क्र०स० ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम हस्ताक्षर TESTE HUR JORIS. 11 ZIJJAMI funci - L- Cita GETMIC ふ Ind Gran 41-NATAZ 5. प्रमान्दान्द्र-220 - city 6: Alutak 7:-1.51-4(2 Hand A return dr 51 921 37 10: end. 111 यमला ल प्रेमलाल Stand KN - Karler 12: 2mouna -Mane 15: नुलाद 14:-AT algaiz LAE VERLIDE LETE - HICETTON 15 Engle traising 16 21.11(1) रिश्रातीन करवता देवा it. The sir Krazer Kie Helle 18. Suma Frager ilene mig. 19 उन्ध्र गफांट रेंड. 20 -922(1d, c SPATER TSL 21 हा गाहिन्द शायाल्शाल 32 て、「それっとい अप्रेम सराजनी देता 23

2

2

परियोजना का नामः जनपद उत्तरकशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग हेत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–7.750 किमी0) वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र। ग्राम पंचायत का नाम–रोन तहसील पुरोला, जिला उत्तरकाशी

उत्तराखण्ड के जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट ताह तम महत्र मर्ग विमीठ 1.00 से स्यालुजा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हेतु हस्तान्तरम जन्ताह महत्र मर्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 4.0320 है0. सिविल सोयम भूमि 0.5040 है0. वन पंचायत भूमि शून्य है0) अर्थात कुल 4.5360 है0. वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम्य पंचायत रोन द्वारा दिनाक <u>1</u><u>3</u><u>2</u><u>4</u>को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवैदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पन्न निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति सं निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रोन के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

() अस

ग्राम सचिव

canned with CamScanner

प्रपत्र-23.1

दिनांक 13-03:11 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति 

क्रांग्स् याग सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम हस्ताहार 5 TRIEL TRISTE House chatter 2-1-5-2107 3:- 3151ah/172116 Bho OL 27,44 419 41-21 STATE र्श्वराश्चम रत्य 5% 11 ELEUN र्शन-तेश दिवट 6: Julist राभित अन्यादेवा 71 -monti Sunder - Hardi deit 5 10 -01 8:-सी रामकार सिंह 91-Konten र्श्विकाणल सिंह white -10% र्श्त प्रताप र्थाः 11:-रिण्या वुशा देखे DALDA 10% र्स सत्वार स्तह रात्त Japan 13: AT HOT KHOIS 25-55 14: हित कुल्लीय राजवाड Ruch 15 42.-11 MINCIT HEISLI CiAT 16 0,0 11 AKSCICI CON 17 6323 म कार्यता देवी 18 TONRES SI JANY KISI · Dortons 19 AN LEATIC THE Rest 20 23/0171 ションでありり

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्द्रियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से स्यालुका तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का निर्माण। त्या - 7.750 km.

रा का नाम :--

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम - रमाल्य का तहसील पुरोला, जिला :- उत्तरकाषी अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्ड में जनपद उत्तरकाषी के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग ा के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 4.0320 हैं0. सिविल सोयम भूमि 0.5040 हैं0, वन पंचयात मूमि शून्य ति कुल 4.5360 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विमाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेत् आवेदन प्रस्तुत किया गया।

पाम डोच्य रिमा डी हारा दिनांक 12/2/20 उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचयात २२१ वर्टन पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचयात की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित यन भूमि के संबंध में अनापत्ति त्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी यामवासियों द्वारा स्पष्ट ाया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मिवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण ये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

50/-म सविते फार्मिश्वराती जिन्हारा हर सहित नयाबत रुपालका विजन्मक प्रहोता (हजरवार)।

Ime 2001

ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सहित

Aris - L.C. 2018 bi Jin Han of the area doe of outfull Jin Han i outfulle a five Jin and the		949-23.1	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		दिनांक - (1-05-20)हिंको ग्राम सभा की सम्पन्न	बैठक की उपस्थिति
врипа       лин чин й очичал аква линапкий в пин       в капан         1       Улич (че s/o gas left       5         2       Еля (че c/o gas left       5         3       Ула (че c/o gas left       5         4       Ла (че c/o gas left)       5         5       2 (че с/o gas left)       5         6       Уда (че с/o gas left)       5         7       Эда (че с/o gas left)       5         8       Эда (че с/o gas left)       5         9       ОТ (П) (с) (с) (с) (с) (с) (с) (с) (с) (с) (с		ग्राम पंचायत का नाम	
1       Init let $s/o$ $gal 1et       side         2       eist let c/o gal 1et       side         3       fide c/o gal 1et       side         4       fide c/o gal 1et       init fide         5       fide s/o gal 1et       init fide         6       fide s/o gal 1et       init fide         7       fide s/o gal 1et       fide         8       fide fide si fide si         9       ord fide si fide si         10       fide side side fide side fide         11       fide side side fide fide         12       fide side side fide fide         13       fide fide side fide fide         14       fide fide side fide fide         15       fide fide fide fide         16       fide fide fide fide         17       fide fide fide         16       fide fide fide fide         17       fide fide fide fide         16       fide fide $	क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	-3
$\frac{2}{3} = \frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{4} $	1	~ ~	A
4 $\pi d = \pi d $	2	TELAT INTO SHI FILST	-3112
4 $-\overline{1}\sqrt{3}$ $-\overline{1}\sqrt{3}$ $-\overline{1}\sqrt{3}$ $-\overline{1}\sqrt{3}$ $-\overline{1}\sqrt{3}$ $-\overline{1}\sqrt{3}$ $-\overline{1}\sqrt{3}$ $-\overline{1}\sqrt{3}$ $-\overline{1}\sqrt{3}$ $-\overline{1}\sqrt{3}\sqrt{3}\sqrt{3}\sqrt{3}\sqrt{3}\sqrt{3}\sqrt{3}\sqrt{3}\sqrt{3}3$	3	The the training	in The
6 $32331231231231231323132313231332313323$	4	The colo South the	UTATE
0 $3 = 12$ $42 = 12$ $42 = 142$ $51$ $47 = 142$ $52 = 142$ 7 $3 = 14 = 162$ $51 = 142 = 142$ $51 = 142 = 142$ $51 = 162$ $51 = 162$ 8 $9 = 16 = 162$ $51 = 91 = 162$ $3e = 142$ $3e = 142$ 9 $-16 = 162$ $51 = 91 = 162$ $3e = 142$ 10 $3d = 5 = 162$ $51 = 91 = 162$ $3e = 142$ 11 $31 = 162$ $51 = 91 = 162$ $3e = 162$ 11 $31 = 163$ $3n = 5162$ $51 = 91 = 91667$ $3e = 162$ 12 $162 = 5162$ $51 = 9167667$ $3e = 162$ $3e = 162$ 13 $16 = 162$ $51 = 9167667$ $3e = 162$ $3e = 162$ 14 $2e = 12$ $2e = 162$ $3e = 162$ $3e = 162$ 14 $2e = 12$ $3e = 162$ $3e = 162$ $3e = 162$ 14 $2e = 122$ $3e = 162$ $3e = 162$ $3e = 162$ 15 $3e = 122$ $3e = 162$ $3e = 162$ $112$ 16 $142$ $3e = 162$ $3e = 162$ $112$ 17	5	otray - use sto 31 dichul	Japarge
8 $3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -$	6	<u>दवन्द्र सिंह भ</u> . अर्रदर्शा मिटे	dist
8 $3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -$	7	उद्दनार । मर झ, सुरत मारो	BEALAE
9 $\sigma T S T T T T T T T T T T T T T T T T T $			2 AN STUREIONS
10 $30-3+62+61+81$ , $510+18-162+81$ 11 $30-3+62+61+51+82+364+764+764+764+764+764+764+764+764+764+7$		9714 62° 81. 214762	Jellitz
10       3d-3 62' Sh uni-star       3d-3         11       372163 gmlt, 81, mm allo $342167$ 12       Adres and sho and the star $342167$ 12       Adres and sho and the star $342167$ 13       Takes and sho and the star $36026$ 14       Adres the star sho and the star $36026$ 15       Stars and sho and the star $41026$ 16       Tuy and sho and the star $4102$ 17       And sho		नहीन किटेहा, जगभेइनकिट	. Que
312169 $3110$ $51$ $61$ $616$ $312169$ 12 $6275$ $610$ $51$ $6166$ $6166$ $512167$ 12 $6275$ $6275$ $6167$ $6166$ $6167$ $512167$ 13 $16669$ $1266$ $510.266$ $61637$ $1866$ $1866$ 14 $267-2$ $1266$ $910.266$ $710$ $267.666$ 15 $21692$ $2167.666$ $910.266$ $112$ 16 $1144$ $2166.966$ $910.266$ $910.266$ 17 $2101.01.666$ $910.266$ $910.266$ $910.266$		30-3 PR' Sh under	3 July 2
13 निरुद्ध सिंह रावत अ० २वे केवल सिंह जिल्मे 13 निरुद्ध सिंह अ० रूवे विजेन्द्र सिंह किलाए 14 दिवेन्द्र सिंह अ० रूवे नागू. 15 त्राकेश रावत. अ० ड्री कुवर सिंह योगंध 16 पप्पू रावत. अ० ट्वी कुवर सिंह योगंध 17 भगवा जिस्ह ४० त्थी सिंह विज्ञ	11	37213 grill, SI, annolla	: 49 Um
13Taxen the stand the 2SourceSource1422 $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ 142 $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ 15 $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ 15 $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ 16 $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ 16 $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ 17 $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ 17 $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$ $A_{a}$	12	विरेन्द्र सिंह रावत अ० २वे केवल सिंह	
14     20     20     20     20     20       15     210     210     210     210     210     210       16 $Trug $ and $.$ Stoce     Stoce     Stoce     Stoce       17     21010 $Tree 400 - 100$ $Tree 400 - 100$ $Tree 400 - 100$	13	नित्नथ सिंह 80 स्व. विजेन्द्र सिंह	Lot
15 त्राकेश शावत. क्षेत्र इसी कुवेद सिंह (112) 16 पप्पू रावत. क्षेत्र २२ जन्मपाल क्षिष्ट किंग् 17 मगवा जिस् मिट में जर्भने सिंह किंग्	14		
16 The ATAR Stora, Stand HE ATAR	15		
17 Priarof REE 40 of certifie Real	16		ha
18 3221 -2174 5/0 7/21415 41221 19 201416 5/1 416 41221 20 2435 168 5/0 7/21416 Re 2422	17		PLA
19 date 416 \$1 yot 416 4221 20 2435168 \$10 724410 100 2425	18	4221 -217 S/0 JA1412	opp
20 2435 IUE 1/0 721410 THE 2422	19	abit of 418 S 415 414	
121 101 70 7214100 1De 2421-	20	2495148 4	
		THE TOUT THE	2422-

#### प्रपत्र-23.1

Scanned with AltaScanner

परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से स्यालुका तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का निर्माण। ले० - 7.750 kcm.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का नाम – रूट्या लुब्ज तहसील पुरोला, जिला :– उत्तरकाषी अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्ताराखण्ड में जनपद उत्तरकाषी के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमीo 1.00 से स्यालुका\_मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 4.0320 है0, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है0, वन पंचयात भूमि शून्य है0) अर्थात कुल 4.5360 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचयात स्टालुज गम स्यालुज हारा दिनांक 12/8/018 को सम्पन्न ग्राम समा /ग्राम पंचयात की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेंदु विस्तृत वर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अध्या किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अध्या नहीं। उपस्थित समी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अध्या गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं। किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेंदु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव मुहर सहित

50/-

80, 「「「「」 IN DAISTRIDEN MEL-IN TELEVISION

(37210) ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सतित वचावत स्वाइत्य Licens rever crowl

25

Scanned with AltaScanner

20	19	10	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	4	0	01	4	3	12	1	क्रमांक	
			API TSAF OS ARI STC	hus Binnes als his icio bi	1 Top of PIN In Ins	BIPALOS NOIR INTES	KITS POINTLE 2/5 MILE FELER	SHAID So 30601111	2019 Re. 3/6 10/201 PAC	A19 10 10 3/5 10 10 201	JANNIN HER & JULY PUNKI	31d orla 36 Intrally	Anta of share	(K) 1-20 8 95 PULV TELES	and have at any the	3DI Rapi of 2A Louis	2012-2412 0/5 PUR 211 64-	e.L	12131912 The your to house lite	ग्राम समा में उपरिधा	याम पंचायत का नाम (
			-123 1gr	Retz1311	पार्कन पालान	(ITTIMIN	Phone	GH CILM	MCHER	4621	A I I AUTIA	2 stra	39	Jameste -	2,1917,1242	3) 1/ ibick	-11111-	sinol p	Sal	हरतायार	Rainel XHialt

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में प्रयोक्ता अभिकरन आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एंव उसके बीचों–बीच पौधों की संख्या बढाएगां।

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिशासी आमियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिंठखा०, पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नामः— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति करेगा।

3

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नामः— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावा यका ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:-- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०,

PE

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजूदरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विषशेतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नामः— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यार्वित वन भूमि की सीमा की परियोजना लागत पर भूमि सीमांकन किया जाएगं।

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नामः— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में परियोजना कार्य निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नामः— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में इस अनुमोदन में प्रत्यार्तवन की अवधि को प्रत्योक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायगा।

35

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायगा।

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नामः— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसिंयो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

37

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम :- <u>गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के</u> नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त से सम्बन्धित किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या–11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सिं०ख० पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सिं०ख० पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम :- <u>गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के</u> नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन <u>1</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर निर्धारित लागू शर्तो का पालन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता

आधशासा आमयन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सिं०ख० पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सिं०ख० पुरोला (उत्तरकाशी) 39

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएंगा एव निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेकां जाएगा।

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम :- गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त करना प्रयोक्ता एंजेसी की जिम्मेदारी होगी।

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सिं०ख० पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अमियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सिं०ख० पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग की अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https:/parivesh. nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

42

अधिशांसी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)